जो डुकि है। अप्रार्थी सं० २ व ३ फोर्मेट पहाकार है। वास्ते पेश बहस T.I हेतु जिल्द जिल्द २२-11-19 को पेश हो।

22/11/19

पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमि ख० न० 1469 ता 1474, 1476, 1477, कुल किता - 8 कुल रकबा 5.95 हे० तन ग्राम ढाणी चौधरियोवाली पटवार हल्का बसी तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान मे 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 अप्रार्थी न० 4 व वाद में प्रतिवादी न० 5 ता 7 के मृतक पिता कन्हैयालाल के नाम दर्ज है व 1/2 हिस्से मे से 197/297 हिस्से की खातेदारी दावे मे प्रतिवादी स० 8 ता 10 के व 100/297 हिस्से की खातेदारी दावे में प्रतिवादी न० 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वाद ग्रस्त भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती भूमियां है जिनका बटवारा नही हुआ है। अप्रार्थी न० 1 के मन मे बदनियति आ गयी है अनावश्यक रूप से काश्त मे अवरोध पैदा कर रहा है। प्रार्थी को अप्रार्थी न० 1 द्वारा हैरान परेशान कर रखा है। इस लिए अप्रार्थीगण को ना दरोग

हुक्म या कार्यवाही मय मयहस्ताक्षर जज

वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।

प्रतिवादी स01/अप्रार्थी स01 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है।

हमने बहस ककिल प्रार्थी सुनी जाकर तथा उस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वाद ग्रस्त भूमियों का तकासमा नहीं हुआ है। अतः उभय पक्षकारान को ता दौराने वाद पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश दिया जाता है:-

उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से ता दौराने वाद पाबन्द किया जाता है कि वाद ग्रस्त भूमि ख0 न0 1469 ता 1474, 1476 व 1477 रकबा 5.95 है0 तन राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियों वाली पावटा हल्का बसी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

22.11.19
(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner